न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 161/2022

गोकुलराम पुत्र श्योनाथ, जाति गुर्जर, निवासी मानोता कलां, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. श्री जयसिह पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. बिमला देवी पत्नी गुल्लाराम
3. कमलेश देवी पत्नी धर्मवीर
4. बिमला देवी पत्नी लिछमण

   जाति गुर्जर, निवासी मानोता कलां, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
5. तहसीलदार, तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

– – –

दरख्वास्त मुन्तकिली बउनवानी मुकदमा बिमलादेवी वगैरह बनाम गोकुलराम दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा सं0 65/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं ...../2021

– – –

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री महीपाल दारौता, अभिभाषक – आवेदक सं0 2, 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 1 व 5 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 01.08.2022

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है कि पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह पहले तहसीलदार खेतडी रह चुके है व बाद में इनको एस0डी0ओ0 बुहाना लगाया था व वर्तमान में एस0डी0ओ0 खेतडी के पद पर विराजमान है। अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 4 ने एक दावा मय दरख्वास्त 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया दिनांक 04.06.2021 को व उक्त दावे में एक तरफा स्थगन ले लिया दावा व टी0आई0 उनवानी बिमलादेवी वगैरह बनाम गोकुलराम का दिनांक...............को पेश किया। प्रार्थी गोकुलराम ने एक दावा व टी0आई0 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी में उनवानी गोकुलराम बनाम कमलेश देवी वगैरह पेश किया दिनांक 3.6.2021 को [illegible] व एकतरफा स्थगन प्राप्त कर लिया व दावा सं0 70/2021 व स्थगन दरख्वास्त के मु0न0 30[illegible]21 है। दावा व टी0आई0 विमला वगैरह बनाम गोकुलराम में दावा व टी0आई0 गोकुलराम बनाम कमलेश [illegible] वगैरह में मुख्य विवाद जमीन जैर बहस में वादी व प्रतिवादी गत ख0न0 302 व 304 में से [illegible] गोकुलराम व बंशीराम ने खरी[illegible] व बंशीराम का देहान्त हो चुका है व उक्त बंशीराम के पुत्रो ने जमीन जेर [illegible]स का बेचान कर दिया [illegible]सका मुख्य विभाजन का वाद है। मुख्य विवाद अदालत मातहत में चल रहे व दावा व टी0आई0 में एक साथ सुनने का विवाद है टी0आई0 के आवेदन में प्रार्थीगण व प्रार्थी व विपक्षी सं0 1 लगायत 3 की शामलाती जमीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 15:35:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

इस कारण से दोनो दरख्वास्त टी0आई0 बहस एक साथ नही सुनी जानी चाहिये परन्तु अदालत मातहत अप्रार्थी बिमलादेवी वगैरह से मिलकर के एक साथ ना सुनकर के अलग अलग बहस सुनकर निर्णय पारित करने को आमाद है। विमला देवी वगैरह एलानियां गांव में कह रहे है कि विमलादेवी वगैर बनाम गोकुलराम के मुकदमे मे आगामी तारीख 16.05.2022 को फैसला करवाकर गोकुलराम को टी0आई0 से पाबन्द करवा देगी व गोकुलराम को अपना हिस्सा बेचने नही देगी जबकि विमलादेवी ने हिस्सा खरीदा है इस बाबत एलानिया धमकी दे रही है। विमला देवी वगैरह एलानिया कर रही है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी बात हो गई है गोकुलराम ने पीठासीन अधिकारी जब खेतडी में तहसीलदार थे तो उनके खिलाफ शिकायतें की थी, उसका बदला अब पीठासीन अधिकारी गोकुलराम के खिलाफ निर्णय पारित करके लेगें। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर व घर पर विपक्षी बिमला के पति का आना जाना लगा रहता है व गांव में भी एलानियां कहता है कि उसकी अच्छी जान पहचान है व वह फैसला विपक्षी के खिलाफ करवायेगा। अतः दरख्वास्त मुन्तकिली मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से मुकदमा उनवानी विमलादेवी वगैरह बनाम गोकुलराम दावा संख्या 65/2021 व टी0आई0....../2021 को विड्रा कर किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किया जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, खेतडी ने पत्रांक 819 दिनांक 26.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1, 2 व 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 5 के संबंध मे निवेदन है कि पक्षकारान् द्वारा वाद संकलित करने का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक पेश नही किया है। अस्थाई निषेधाा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2021 बहस की स्टेज पर होने से बहस सुनने का अधिवक्ता उभय पक्षकारान् से आग्रह किया था। विमला देवी वगै0 से मिलकर निर्णय पारित करने का आरोप अधोहस्ताखरकर्ता पर मिथ्या है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 6 संभावना पर आधारित होने से गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दूम सं0 7 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। उक्त बिन्दू मे तथाकथित बातें मनगढन्त, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा मे रहते हुए प्रकरण मे न्यायिक प्रकिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां सम्पादित की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 8 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 9, 10 व 11 कानूनी है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 12 के जबाब की आवश्यकता नही है। अतः बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद संख्या 65/2021 उनवानी बिमला आदि बनाम गोकलराम आदि व प्रार्थना पत्र संख्या 27/2021 उनवानी बिमला आदि बनाम गोकलराम आदि को न्यायालय हाजा से अन्य राजस्व न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने Citation : 2022(1) DNJ (Rev.) 480 एवं Citation : 2022 (1) DNJ (Rev.) 41 माननीय न्यायालय [illegible] मण्डल राजस्थान, अजमेर की नजीरे पेश कर बहस के दौरान बहस प्रार्थना में अंकि[illegible] किया कि विमला देवी वगैरह एलानियां गांव में कह रहे है कि विमलादेवी वगैर बनाम गोकुलराम के मुकदमे मे आगामी तारीख 16.05.2022 को फैसला करवाकर गोकुलराम को [illegible] देगी व गोकुलराम को अपना हिस्सा बेचने नही देगी जबकि विमलादेवी ने हिस्सा खरीदा है इस बाबत एलानिया धमकी दे रही है। विमला देवी वगैरह एलानिया कर रही है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी बात हो गई है गोकुलराम ने पीठासीन अधिकारी जब खेतडी में तहसीलदार थे तो उनके खिलाफ शिकायतें की थी, उसका बदला अब पीठासीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 15:35:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अधिकारी गोकुलराम के खिलाफ निर्णय पारित करके लेगें। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर व घर पर विपक्षी बिमला के पति का आना जाना लगा रहता है व गांव में भी एलानियां कहता है कि उसकी अच्छी जान पहचान है व वह फैसला विपक्षी के खिलाफ करवायेगा। अतः दरख्वास्त मुन्तकिली स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से मुकदमा उनवानी विमलादेवी वगैर बनाम गोकुलराम दावा संख्या 65/2021 व टी0आई0......./2021 को विड्रा कर किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किया जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहते है। अदालत मातहत मे समुचित रूप से सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अन्य न्यायालय मे मुकदमा स्थानान्तरण को कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी मे विचाराधीन मुकदमा वाद संख्या 65/2021 उनवानी बिमला आदि बनाम गोकलराम आदि व प्रार्थना पत्र संख्या 27/2021 उनवानी बिमला आदि बनाम गोकलराम आदि का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 15:35:46 IST
Reason: SelfAttested